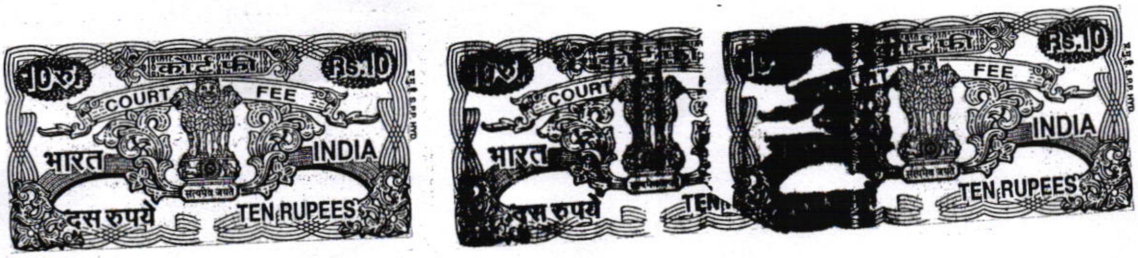

(101)

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर बोर्ड,म0प्र0 (केम्प उज्जैन)

प्र.क्र. /2016 निगरानी निग – 3296 – PBR/16

शिवनारायण पिता देवीप्रसाद आयु 59 वर्ष
जाति गाडरी (धनगर) धंधा कृषि निवासी
उचोद तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर (म0प्र0)
.............निगरानीकर्ता

श्री महेश श्रीवास्तव अभि० द्वारा उज्जैन कैम्प पर प्रस्तुत। 22-9-16

विरूद्ध

1.बाबुलाल पिता देवीप्रसाद आयु 60 वर्ष
ग्राम उचोद टप्पा अकोदिया तहसील शुजालपुर
जिला शाजापुर हाल मुकाम भोपाल. म०प्र०.
2.देवराज पिता देवीप्रसाद आयु 50 वर्ष
ग्राम उचोद टप्पा अकोदिया तहसील शुजालपुर
जिला शाजापुर म0प्र0 ....विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959 प्र.क. 91/13–14 अपील में न्यायालय श्री मान अनुविभागीय अधिकारी महोदय शुजालपुर पीठासीन अधिकारी श्री गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/08/2016 से असंतुष्ट होकर निगरानी आवेदनपत्र प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की और से निम्नानुसार निगरानी आवेदनपत्र सादर प्रस्तूत है :–

–: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

यह कि निगरानीकर्ता एवं विपक्षी कमांक 01,02 एक ही परिवार के सगे भाई होकर उनके द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा अकोदिया के न्यायालय में सहमती से उनकी पैतृक भूमि संबंधी बटवारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसका प्रकरण कमांक 4अ/27/07–08 होकर उसमें तहसील न्यायालय नें सभी पक्ष के कथन लेकर उनको सुनवाई का अवसर दिया जाकर बटवारा आवेदन का निराकरण दिनांक 18/12/2007 को कर दिया गया उसके विरूद्ध विपक्षी कमांक 01 ने समस्त जानकारी होने के बाद भी अधिनस्थ न्यायालय में अत्यधिक विलंब से अपील प्रकरण प्रस्तुत करते हुऐ उसमें अपील में हुऐ विलंब को क्षमा करने हेतु धारा 05 परिसीमा अधिनियम एवं आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के अंतर्गत आवेदन पत्र

..........निरन्तर पेज 2 पर

शिवनारायण

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3296-पीबीआर/16 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर, से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** 3	